भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4815

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज

4815. श्री अजेन्द्र सिंह लोधीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त अवधि के दौरान स्थापित मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उत्तर प्रदेश में अगले पांच वर्षों में जिलावार कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का लक्ष्य है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): निष्पक्ष, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है तथा स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और चिकित्सा संबंधी बुनियादी-ढांचे और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालाँकि, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी-ढांचे और सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) और मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए दिए गए एसपीआईपी अनुमोदन निम्नानुसार हैं:

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन
2019-20	45,650.91
2020-21	1,47,304.31
2021-22	1,24,665.62
2022-23	42,730.00
2023-24	1,71,102.14

टिप्पणी:

1. एसपीआईपी अनुमोदन राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 (आरंभ से) से वित्त वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्र द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्मवत है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्र द्वारा जारी धनराशि
2021-22	124.63
2022-23	173.71
2023-24	247.96

टिप्पणी:

1. जारी की गई उपर्युक्त धनराशि में केवल केन्द्र सरकार का अनुदान शामिल है तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

यह मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस योजना के तहत, परिकल्पित सभी 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 131 को कार्यशील बनाया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में 27 मेडिकल कॉलेजों को इस योजना के तहत मंजूरी दी गई है, जिनमें से 26 कार्यशील हैं। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का विवरण अनुलग्नक में है।

इस योजना के अंतर्गत पिछले 05 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्से की जारी की गई धनराशि					पिछले पांच वर्षों में जारी की गई कुल राशि
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
उत्तर प्रदेश	578.44	700	1232.24	0	0	2510.68

पिछले पांच वर्षों में खोले गए मेडिकल कॉलेजों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	राज्य	सरकारी कॉलेज	निजी कॉलेज	कुल कॉलेज
2020-21	उत्तर प्रदेश	26	31	57
2024-25	उत्तर प्रदेश	46	40	86
पिछले 05 वर्षों में परिवर्तन		20	09	29

'नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने - मेडिकल कॉलेजों की सहअवस्थिति में नए नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, 27 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और उपरोक्त योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 54.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अनुलग्नक

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' की सी.एस.एस. के तहत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत कॉलेजों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	जिले का नाम	चरण	अनुमोदन तारीख	स्वीकृत लागत	केंद्रीय हिस्सा	जारी की गई कुल धनराशि	कार्यशील बनाए जाने की स्थिति
1	बस्ती	I	27.11.2015	189	113.4	113.4	हाँ
2	फैजाबाद	I	27.11.2015	189	113.4	113.4	हाँ
3	फिरोजाबाद	I	27.11.2015	189	113.4	113.4	हाँ
4	शाहजहांपुर	I	27.11.2015	189	113.4	113.4	हाँ
5	बहराइच	I	16.08.2016	189	113.4	113.4	हाँ
6	एटा	II	25.06.2018	250	150	150	हाँ
7	हरदोई	II	25.06.2018	250	150	150	हाँ
8	प्रतापगढ़	II	15.06.2018	250	150	150	हाँ
9	फतेहपुर	II	25.06.2018	250	150	150	हाँ
10	सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज)	II	25.06.2018	250	150	150	हाँ
11	देवरिया	II	18.07.2018	250	150	150	हाँ
12	गाजीपुर	II	25.06.2018	250	150	150	हाँ
13	मिर्जापुर	II	25.06.2018	250	150	150	हाँ
14	बिजनौर	III	27.09.2019	322.79	193.67	193.67	हाँ
15	कुशीनगर	III	27.09.2019	325	195	195	हाँ
16	सुल्तानपुर	III	18.10.2019	324.98	194.99	194.99	हाँ
17	गोंडा	III	18.10.2019	325	195	195	हाँ
18	ललितपुर	III	18.10.2019	325	195	195	हाँ
19	लखीमपुर खीरी	III	25.11.2019	324.22	194.53	194.53	हाँ
20	चंदौली	III	25.11.2019	325	195	195	हाँ
21	बुलंदशहर	III	25.11.2019	325	195	195	हाँ
22	सोनभद्र	III	25.11.2019	325	195	195	हाँ
23	पीलीभीत	III	25.11.2019	325	195	195	हाँ
24	औरैया	III	25.11.2019	325	195	195	हाँ
25	कानपुर देहात	III	25.11.2019	323.42	194.05	194.05	हाँ
26	कौशाम्बी	III	25.11.2019	325	195	195	हाँ
27	अमेठी	III	09.03.2020	325	195	100	नहीं
				6515.41	**3909.24**	**3814.24**	

******